

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 01/2020 (2020/00003) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. गीता पत्नि रोशन जाट,
2. सीमा पत्नि लादुलाल जाट,  
सर्व निवासी बघेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बालु पिता डालु बलाई (सालवी)
2. शम्भुगिरी पिता किशनगिरी गोस्वामी
3. रामचन्द्र पिता माधु बलाई
4. शम्भुलाल पिता माधु बलाई
5. सुनील कुमार पिता पारसमल चीपड
6. दिलिप पिता पासरमल चीपड
7. सुशील पिता पारसमल चीपड
8. कमलेश पिता पारसमल चीपड  
सर्व निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 17/03/2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3211/1646 रकबा 0.28हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.28हे0 राजस्व खाता संख्या 939 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। वादिया अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 5, 7 व 8 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई, जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 07.02.2020 पर किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 4 एवं 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3211/1646 रकबा 0.28हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.28हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा

183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पच्चास रुपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पच्चास रुपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। प्रार्थी तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)  
उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

